




मेरिङ्देन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

गाउँसभाबाट स्वीकृत मिति : २०७९/०३/१० गते



मेरिङ्देन गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सान्थाक्रा, ताप्लेजुङ
१ नं. प्रदेश, नेपाल

मेरिडदेन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

प्रस्तावना: मेरिडदेन गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ दफा ५४ मा भएको व्यवस्था र १ नं. प्रदेश कानून बमोजिम मेरिडदेन गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट पारित गरी आर्थिक ऐन बनाईनेछ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस ऐनको नाम “मेरिडदेन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९” रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०७९ साल श्रावण १ गतेदेखि मेरिडदेन गाउँपालिका क्षेत्र ताप्लेजुडमा लागू हुनेछ ।
२. **सम्पत्ति (घर जग्गा) वहाल कर:** गाउँपालिकाक्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूची -१ बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
३. **व्यवसाय कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवाको दर्ता र नविकरण गर्न अनुसूची -२ बमोजिम कर लगाई असूल उपर गरिनेछ । एउटै पसल, फर्म वा कम्पनीले अनुसूचीमा उल्लिखित विवरण अनुसार एक भन्दा बढी किसिमका वस्तु तथा सेवाको व्यवसाय गरेको भएमा अधिकतम दर भएको व्यवसायको व्यवसाय कर असूल उपर गरिने छ ।
४. **जडिबुटी तथा कबाडी कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जडिबुटीको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत् अनुसूची -३ बमोजिमको जडिबुटी तथा कबाडी कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
५. **विज्ञापन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची-४ बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सोहि कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ।
६. **मनोरञ्जन कर:** १ नं. प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।
७. **सेवा शुल्क र दस्तुर:** गाउँपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची -५ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराएको अन्य सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम कर, शुल्क वा दस्तुर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
८. **पर्यटन शुल्क:** उद्यम, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, संग्रहालय जस्ता सम्पदाको उपयोग वापत अनुसूची -६ र १ न. प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०७९ मा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।
९. **भूमि कर (मालपोत):** गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका ब्यक्तिहरुले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बापत अनुसूची -७ बमोजिमको भूमि कर(मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१०. **दहत्तर बहत्तर कर:** ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, स्लेट, चुनढुङ्गा, खरी ढुङ्गा, अभ्रव र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोतको करको दर र प्रकृया स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ क वा १ नं. प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०७९ बमोजिम हुनेछ ।
११. **जरिवाना:** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र निषेध गरिएको सार्वजनिक क्षेत्र वा व्यापार व्यवसाय वा फोहोर मैला व्यवस्थापन, विवाद, झैझगडा, द्वन्द्व बापत तथा यस ऐन र अन्य प्रचलित कानून विपरितका कार्य गर्नेलाई अनुसूची -८ बमोजिमको जरिवाना गरी असूल उपर गरिनेछ ।
१२. **सामुदायिक वनबाट आय:** स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२क बमोजिम हुनेछ ।
१३. **घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क:** १ नं. प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०७९ बमोजिम हुनेछ ।
१४. **सवारी साधन कर:** १ नं. प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०७९ बमोजिम हुनेछ र टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र इ-रिक्साको सवारी कर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।
१५. **कर छुट:** यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन । तर तीन भन्दा बढी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई अधिकतम तीन वटा व्यवसायमध्ये उच्चतम दरको कर लिई बाँकी व्यवसायको कर मिनाहा गरिनेछ ।
१६. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि:** यो ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यस ऐन सँग नबाझिने गरी कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँ कार्यपालिकाले आवश्यक नियम, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने छ ।
१७. **अन्य व्यवस्था:** यस गाउँपालिकाका विषयगत शाखा वडा तथा अन्य कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवानालाई सेवा सँग आवद्ध गरी अनिवार्य असूल उपर गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । तर नागरिकताको सिफारिस तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा प्रतिवद्धता पत्र लिई सेवा प्रवाह गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
१८. यस ऐनमा व्यवस्था भएकोमा यसै ऐन बमोजिम र गाउँपालिकाको अन्य ऐनमा तोकिएको भएमा सोहि ऐन बमोजिम हुनेछ ।
१९. **ऐनको व्याख्या तथा खारेजी :**
 - (१) यस ऐनमा उल्लेख नभएका विषयको हकमा गाउँ कार्यपालिकाले करको दर व्याख्या गर्न सक्नेछ ।
 - (२) गाउँपालिकाले लागू गर्दै आएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्रदेश कानून तथा अन्य ऐनसँग प्रतिकूल देखिएमा प्रतिकूल भएको हदसम्म खारेज हुनेछ ।

अनुसूची - १

(दफा २ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वार्षिक रुपमा लगाउने सम्पत्ति (घरजग्गा) बहाल करको दर

| क्र.सं. | विवरण | दररेट | कैफियत |
|---------|--|---|--------|
| १. | कुनै पनि निजी व्यक्तिलाई घर कोठा बहालमा दिएमा, घरधनीले गाउँपालिकालाई घर, पसल, ग्यारेज, जग्गा, गोदाम, टहरा भाडामा दिएमा सम्झौता रकमको, कुनै पनि सार्वजनिक संस्था/सरकारी कार्यालय/ निजी बैंक/सहकारी आदिलाई घर, कोठा बहालमा दिएमा सम्झौता रकमको | १०% | |
| २. | एम्बुलेन्स भाडा दर | कार्यविधिमा व्यवस्थित गरिए बमोजिम हुनेछ | |
| ३. | JCB ब्याक हो लोडर भाडादर | | |

क. १५ दिन भन्दा लामो अवधिका लागि-

(अपरेटर र ईन्धन बाहेक)

| क्र.सं. | कामको प्रकार | भाडा दर | | कैफियत |
|----------------------------|--|-------------|--------|--------|
| | | प्रति घण्टा | सिफ्ट | |
| १. | गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित योजनाहरूमा | १०००/- | ७०००/- | |
| २. | अन्य निकाय तथा ठेक्कापट्टा मार्फत सञ्चालित योजनाहरू | ११००/- | ७७००/- | |
| (अपरेटर सहित, ईन्धन बाहेक) | | | | |
| ३. | गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित योजनाहरूमा | १२००/- | | |
| ४. | अन्य निकाय तथा ठेक्कापट्टा मार्फत सञ्चालित योजनाहरू | १५००/- | | |
| (अपरेटर, ईन्धन सहित) | | | | |
| ५. | गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित योजनाहरूमा | २५००/- | | |
| ६. | अन्य निकाय तथा ठेक्कापट्टा मार्फत सञ्चालित योजनाहरू | २७००/- | | |

क. १५ दिनभन्दा छोटो अवधिका लागि-

| (अपरेटर र इन्धन बाहेक) | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------|--------|
| क्र.सं. | कामको प्रकार | भाडा दर | | कैफियत |
| | | प्रति घण्टा | सिफ्ट | |
| १. | गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित योजनाहरुमा | १५००/- | | |
| २. | अन्य निकाय तथा ठेक्कापट्टा मार्फत सञ्चालित योजनाहरु | २०००/- | | |
| (अपरेटर सहित, ईन्धन वाहेक) | | | | |
| ३. | गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित योजनाहरुमा | १७००/- | | |
| ४. | अन्य निकाय तथा ठेक्कापट्टा मार्फत सञ्चालित योजनाहरु | २०००/- | | |
| (अपरेटर, ईन्धन सहित) | | | | |
| ५. | गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित योजनाहरुमा | २५००/- | | |
| ६. | अन्य निकाय तथा ठेक्कापट्टा मार्फत सञ्चालित योजनाहरु | ३०००/- | | |

क.(२) व्याक हो लोडर अपरेटर तथा सहायकको भत्ता दर-

| क्र.सं. | पद | भत्ता (प्रति घण्टा) | कैफियत |
|---------|---------------------|---------------------|--------|
| १. | व्याकहो लोडर अपरेटर | २५०/- | |
| २. | व्याकहो लोडर सहायक | १५०/- | |

अनुसूची - २
(दफा ३ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउने व्यवसाय दर्ता/नविकरण करको दर

| क्र.सं. | विवरण | दर्ता/अनुमति | नवीकरण | कैफियत |
|---------|--|--------------|--------|-------------------------|
| १. | साधारण प्रकृतिको होटल, चिया नास्ता पसल | १००० | ५०० | |
| २. | लजिङ, फुडिङ सहितको होटल, गेष्ट हाउस, रेष्टुरेन्ट | २००० | १००० | |
| ३. | तालिम हल, एट्याच ट्वाइलेट बाथरुम, वाईफाई सहितको होटल | ३००० | १५०० | |
| ४. | फोटो स्टुडियो (फोटो खिच्ने, धुलाउने, फोटोकपी, फ्याक्स) | १००० | ५०० | |
| ५. | सवारी साधन विक्रेता/मर्मत/ग्यारेज | ३००० | १५०० | |
| ६. | कपडा/जुत्ता/चप्पल पसल, | १५०० | १००० | |
| ७. | नर्सरी (फलफूल, कृषिजन्य बोटबिरुवा उत्पादन बिक्रीवितरण), | ५०० | २०० | |
| ८. | मेडिकल/एग्रोभेट | १५०० | १००० | |
| ९. | खाद्य पदार्थ (दाल, चामल, चिनी, तरकारी लगायत अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु)/ सम्बन्धी पसल | १५०० | १००० | |
| १०. | अलैँचि/अदुवा/सतुवा/जटामसि/बनजन्य तथा जडीबुटी कारोबार गरे वापत थप व्यवसाय | १५०० | १००० | |
| ११. | हार्डवेयर व्यवसाय | ३००० | १५०० | |
| १२. | भाँडाकुँडा पसल | २५०० | १५०० | |
| १३. | फर्निचर/ 'स' मिल व्यवसाय | ३००० | १५०० | |
| १४. | इन्धन व्यवसाय | २००० | १००० | |
| १५. | कस्मेटिक पसल, व्युटी पार्लर | १००० | ५०० | |
| १६. | अल्कोहलजन्य/धुम्रपानजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने पसल (PAN/ VAT दर्तावाला) | २५०० | १५०० | |
| १७. | अल्कोहलजन्य/धुम्रपानजन्य पदार्थ समेत बिक्रीवितरण गर्ने होटल | २००० | १००० | सिं नं. १,२ बाहेक |
| १८. | सुनचाँदी पसल | ३००० | १५०० | |
| १९. | मनी एक्स्चेन्जर (IME लगायत) | ३००० | १५०० | |

| | | | | |
|-----|--|-------|-------|--|
| २०. | कृषि सहकारी संस्था | १००० | ५०० | |
| २१. | विद्युत् सहकारी | ३००० | १५०० | |
| २२. | अन्य सहकारी तथा लघुवित्त | ३००० | १५०० | |
| २३. | बैंकिङ तथा बित्तीय कारोवारगर्ने संस्था | १०००० | ५००० | |
| २४. | एफ. एम. रेडियो | १०००० | ५००० | |
| २५. | सिनेमाघर | १०००० | ५००० | |
| २६. | ट्राभल्स एण्ड टुर्स, ट्रेकिङ एजेन्सी | ५००० | २००० | |
| २७. | कायाकिङ, क्यानोनिङ, बञ्जी जम्प, जिप फ्लायर, र्याफिटङ, पाराग्लाइडिङ | १०००० | ५००० | |
| २८. | केबलकार | ५०००० | १५००० | |
| २९. | प्रेस हाउस | १००० | ५०० | |
| ३०. | स्टेशनरी | १५०० | १००० | |
| ३१. | ईलेक्ट्रोनिक्स पसल(मोवाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप, विजुलीका सामानहरु लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु) | २००० | १००० | |
| ३२. | टेलर, सैलुन, साइवर | १००० | ५०० | |
| ३३. | 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसाय दर्ता/नविकरण | १०००० | ५००० | |
| ३४. | लघु घरेलु र साना उद्योग दर्ता | १००० | ५०० | |
| ३५. | अन्य व्यवसाय | १००० | ५०० | |

अनुसूची - ३

(दफा ४ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउने जडिबुटी, जीवजन्तु तथा कवाडी कर

(क) कवाडी

| क्र.सं. | कवाडी | दररेट रु. (प्रति केजी) | कैफियत |
|---------|-------|------------------------|--------|
| १. | कवाडी | ०.५ | |

(ख) जीवजन्तु/ सबै प्रकारको माछा कर

| क्र.सं. | जीवजन्तु/ सबै प्रकारको माछा कर | वार्षिक दर रु. | कैफियत |
|---------|--|----------------|--------|
| १. | श्रीगंगा बाट सक्राते सम्म | ४००० | |
| २. | सक्राते हुँदै नाल्बुको माथिल्लो सिमाना सम्म | १००० | |
| ३. | दोभान त्रिवेणी हुँदै श्रीगंगा सम्म | ४००० | |
| ४. | दोभान हुँदै हाङगुवा सम्म | ४००० | |
| ५. | हाङगुवा देखि माथिल्लो मेरिडदेनको सिमाना सम्म | १००० | |

(ग) जडिबुटी कर

| क्र.सं. | जडिबुटी कर | बार्षिक दर | कैफियत |
|---------|-----------------|------------|--------|
| १. | चिरेइतो, सतुवा, | ५०० | |

अनुसुची – ४

(दफा ५ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउने विज्ञापन करको दररेटः

क) प्रदेश कानूनको अधिनमा रहि देहाय अनुसार विज्ञापन कर निम्नानुसार तोकिएको छः

- १) भवनको छत र कौशीमा परिचय पाटी वा विज्ञापन सामग्री राख्न पाइनेछैन ।
- २) भवनमा भ्याल छोपेर परिचय पाटी वा विज्ञापन सामग्री राख्न पाइनेछैन ।
- ३) बाटोको सीमानादेखि दश फिट भित्र तथा संधियारको सिमानादेखि पाँच फिट भित्र र सार्वजनिक स्थान वा संस्थान वा कार्यालय वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा विज्ञापन सामग्री राख्न पाइनेछैन ।
- ४) सार्वजनिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निर्माण भएका जुनसुकै संरचनामा निर्माणकर्ताको नाम बाहेक राखिएका जुनसुकै तस्वीर वा अक्षरको कर छुट हुने छैन ।
- ५) भवन, जमिन, व्यापारिक वा व्यवसायिक केन्द्र, होटल वा रेष्टुरेण्ट वा विद्यालय वा सिनेमा हल वा पेट्रोल पम्प वा जुनसुकै भवनको भित्री भागमा विज्ञापन कर छुट हुने छैन ।
- ६) सुर्तीजन्य, मदिरा तथा नेपाल सरकारबाट प्रतिबन्धित तथा मेरिडदेन गाउँपालिकाबाट निषेध गरिएका विज्ञापन प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन ।

ख) विज्ञापन करको दरः

- १) फ्लेक्सबाट तयार गरिएको विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रति वर्ष वर्ग फुट रु.१०१-,
- २) होर्डिङ्ग बोर्ड, नियोन साईन यस्तै विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रति वर्ष वर्ग फुट रु.३०१-,
- ३) डिजिटल बोर्ड, ग्लो साइन बोर्डमा गरिने विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रति वर्ष वर्ग फुट रु. २०१-,
- ४) माल बाहक सवारी साधनको दाँयाबाँया पट्टीको भागमा अधिकतम दश स्क्वार फुट सम्मको लागि प्रति दिन रु.५०१-र स्थायी रूपमा लेखिएको वा छापिएको प्रचार सामग्रीका लागि प्रति वर्ष वर्ग फुट रु.२५१-,
- ५) खेलकुद मैदान, मेला, जात्रा, पर्व र यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममा हुने विज्ञापन प्रचार सामग्रीको अधिकतम १५ दिन र २० स्क्वार फुटकालागि प्रति दिन रु.५०१-,
- ६) सवारी साधनको छत (अधिकतम ३ फुट उचाइ सम्म मात्र), दुई पाङ्गा विचको भाग, पछाडीको सिसा (सिसाको जम्मा भाग मध्येको अधिकतम ५० प्रतिशत सम्म मात्र) मुख्य भ्यालको माथि पट्टीको भेन्टीलेसनमा विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रति स्क्वार फुट रु.५०१-
- ७) आकाशमा वेलुन, ज्याकटमा वा वेलुन बोकेर गरिने विज्ञापन (प्रतिदिन) रु.२५१-,
- ८) अन्यको हकमा प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष रु.१००१-

अनुसूची -५
(दफा ७ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको सेवाबाट निम्नानुसारको सेवा शुल्क र दस्तुर लगाउने र असुल उपर गर्नेछ ।

| क्र.सं. | विवरण | (रुपैयाँमा) | |
|---------|---|------------------|--------------------------------|
| | | आ.व. २०७६/०७७ | कैफियत |
| १ | निवेदन दस्तुर | १०१- | |
| २ | व्यक्तिगत घटना दर्ता/सिफारिस ३५ दिनभित्र | निशुल्क | |
| ३ | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिन पछि | | गृह मन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम |
| ४ | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिन पछि प्रतिलिपी | १००१- | |
| ५ | अस्थायी बसोबास सिफारिस | २००१- | |
| ६ | स्थायी बसोबास सिफारिस | ५००१- | |
| ७ | एकासगोल परिवार प्रमाणित सिफारिस | २००१- | |
| ८ | संरक्षक सिफारिस (व्यक्तिगत) | ५०१- | |
| ९ | संरक्षक सिफारिस(संस्थागत) | १००१- | |
| १० | जिवित रहेको सिफारिस | १००१- | |
| ११ | जन्म मिति संशोधन सिफारिस | १००१- | |
| १२ | व्यक्तिगत विवरण प्रमाणितसिफारिस/अङ्ग्रेजीमा | १००/३०० | |
| १३ | जन्म मिति प्रमाणित /अङ्ग्रेजीमा | १००/३०० | |
| १४ | विवाह प्रमाणित /अङ्ग्रेजीमा | १००/३०० | |
| १५ | अविवाहित प्रमाणित /अङ्ग्रेजीमा | २००/३०० | |
| १६ | सम्बन्ध विच्छेद सिफारिस/अङ्ग्रेजीमा | २००/३०० | |
| १६ | मृत्यू प्रमाणित/अङ्ग्रेजीमा | १००/३०० | |
| १७ | सम्बन्ध भएको/नभएको प्रमाणित/अङ्ग्रेजीमा | १००/३०० | |
| १८ | घर पाताल प्रमाणित /अङ्ग्रेजीमा | १००/३०० | |
| १९ | फरक फरक नाम, थर सिफारिस/प्रमाणित /अङ्ग्रेजीमा | १००/३०० | |
| २० | फरक फरक जन्म मिति प्रमाणित /शिफारिस /अङ्ग्रेजीमा | १००/३०० | |
| २१ | चालचलन राम्रो, तीनपुस्ते, सम्बन्धी सिफारिस नेपाली | २००१- | |
| २२ | चालचलन राम्रो, तीनपुस्ते, सम्बन्धी सिफारिस अंग्रेजी | ५००१- | |
| २३ | कागज मञ्जुरीनामा प्रमाणित | १००१- | |
| २४ | संरक्षक प्रमाणित /अङ्ग्रेजीमा | १००/३०० | |
| २५ | नाम, थर संशोधन सिफारिस /अङ्ग्रेजीमा | २००/३०० | |
| २६ | वैदेशिक रोजगार प्रमाणित खाडी मूलुक र मलेसिया र अन्य | २००१- | |

| | | | |
|----|---|---------|--|
| २७ | वैदेशिक रोजगार प्रमाणित अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान,कोरिया, मकाउ, हङकङ, सिंगापुर, इजरायल, ब्रुनाई र युरोपियन मुलुक | २०००१- | |
| २८ | वैदेशिक रोजगार प्रमाणित इराक,अफगानिस्तान,सिंगापुर, इजरायल,लेबनान | १०००१- | |
| २९ | वैदेशिक भुतपूर्व सैनिक/प्रहरीको हकमा नाम थर एउटै/संशोधन प्रमाणित गर्ने सिफारिस (ब्रिटिश, सिंगापुर) | ३,०००१- | |
| ३० | वैदेशिक भुतपूर्व सैनिकको हकमा नाम थर एउटै/ संशोधन प्रमाणित गर्ने सिफारिस (भारत) | २,०००१- | |
| ३१ | पेन्सन पट्टा सम्बन्धि सिफारिस | | |
| | क) नेपालमा सेवारत | २००१- | |
| | ख) भारतमा सेवारत | ५००१- | |
| | ग) अन्य मुलुकमा सेवारत | २०००१- | |
| ३२ | नाता प्रमाणित सिफारिस (नेपाली) | १००१- | |
| ३३ | सर्जमिन गर्नुपर्नेका हकमा | ३००१- | |
| ३४ | नाता प्रमाणित सिफारिस (अंग्रेजी) | ३००१- | |
| ३५ | विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्रमाणित सिफारिस | निशुल्क | |
| ३६ | छात्रवृत्ति प्रमाणित सिफारिस | १००१- | |
| | छात्रवृत्ति प्रमाणित सिफारिस (वैदेशिक) | ५००१- | |
| ३७ | अपांग प्रमाणित सिफारिस | निशुल्क | |
| ३८ | जेष्ठ नागरिक, एकल महिला सिफारिस | निशुल्क | |
| ३९ | नाबालक सम्बन्धी सिफारिस (अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जापान, कोरिया, मकाउ, सिंगापुर, हङकङ, ब्रुनाई र युरोपियन मुलुक) | २५००१- | |
| ४० | नाबालक सम्बन्धी सिफारिस (हङकङ, मकाउ, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर) | १५००१- | |
| ४१ | नाबालक सम्बन्धी सिफारिस (खाडी मुलुक र अन्य) | ५००१- | |
| ४२ | नाबालक सम्बन्धी सिफारिस (नेपाल र भारत) | २००१- | |
| ४३ | आन्तरीक बसाई सराई सिफारिस | ५००१- | |
| ४४ | निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस | निशुल्क | |
| ४५ | सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस | १००१- | |
| ४६ | अन्य कार्यालयको माग अनुसार विवरण खुलाई पठाउन पर्ने | १५०१- | |
| ४७ | अन्य कार्यालयको माग अनुसार रोहबरमा बसी विवरण खुलाई पठाउन पर्नेमा | ५००१- | |
| ४८ | मोहि जग्गा वा अन्य नामसारी सिफारिस | ५००१- | |
| ४८ | मोही लगत कट्टा | ५००१- | |
| ४९ | घर कायम सिफारिस (व्यापारिक प्रयोजन) | १०००१- | |
| ५० | घर कायम सिफारिस (अन्य) | १००१- | |

| | | | |
|----|---|-------------|-----------------------------|
| ५१ | जग्गा दर्ता सिफारिस (निषेधित बाहेक प्रति रोपनी) | १०१- | महिलाको हकमा ५० प्रतिशत छुट |
| ५२ | कित्ताकाट सिफारिस(प्रति रोपनी) | १०१- | |
| ५३ | जग्गा नामसारी/किनवेच सिफारीस | १५०१- | महिलाको हकमा ५० प्रतिशत छुट |
| ५४ | अंशवण्डा सिफारिस (प्रति रोपनी) | १०१- | |
| ५५ | जग्गाको हक सम्बन्धमा सिफारिस | २००१- | |
| ५६ | सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिस | १५०१- | |
| ५७ | सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिस | १५०१- | |
| ५८ | घर बाटो प्रमाणित, (मुल सडक अन्तर्गत) | ३००१- | |
| ५९ | घर बाटो प्रमाणित, (सहायक पिच सडक अन्तर्गत) | २००१- | |
| ६० | घर बाटो प्रमाणित, (कच्ची मोटर बाटो अन्तर्गत) | १५०१- | |
| ६१ | घर बाटो प्रमाणित, (गोरेटो बाटो नभएको समेत) | १००१- | |
| ६२ | चार किल्ला प्रमाणित | ५००१- | |
| ६३ | हकदार भएको प्रमाणित सिफारिस | २००१- | |
| ६४ | हकदार नभएको प्रमाणित सिफारिस | १००१- | |
| ६५ | जग्गा रेखाङ्कन सम्बन्धी रोहबरमा बस्ने | १००१- | |
| ६६ | जग्गा धनीपुर्जा हराएको सिफारिस | १००१- | |
| ६७ | पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस | १००१- | |
| ६८ | अमिन फिल्ड चेक दस्तुर (रुपैयाँ) | | |
| | १ रोपनी सम्म | १००१- | |
| | ५ रोपनी सम्म | २००१- | |
| | १० रोपनी सम्म | ३००१- | |
| | २० रोपनी सम्म | ४००१- | |
| | २० भन्दा माथी | ५००१- | |
| ६९ | घर सार्ने सिफारिस | | |
| ७० | क) अन्तरजिल्ला | १५००१- | |
| ७१ | ख) अन्तरस्थानीय तह | १०००१- | |
| ७२ | ग) अन्तरवडा | निशुल्क | |
| ७३ | छुट जग्गा दर्ता सिफारिस | | |
| | जग्गाको किसिम | पाखा | खेत |
| | विवरण | प्रति रोपनी | प्रति रोपनी |
| | कर रकम | १००१- | १२०१- |
| | घडेरी प्रयोजनको लागि प्रति आना | ५०१- | |
| ७४ | घर नक्शा | | |
| | क) घर नक्शा प्रतिलिपि १ सेट | ५००१- | |

| | | | |
|----|--|--------|--|
| | ख) घरनक्शा अन्य कागजात प्रति पान नक्कल दस्तुर | १५१- | |
| | ग) सम्पन्न प्रमाणपत्र/ प्रतिलिपि (फोटो टाँसेको) | ५००१- | |
| | घ) घरनक्शा निवेदन फायल दस्तुर | ५००१- | |
| | घर नक्शा पास दस्तुर | | |
| | क) १००० वर्ग फिट सम्म रड सिमेन्ट जोडाई प्रति वर्ग फिट | ११- | |
| | ख) १५०० वर्ग फिट सम्म रड सिमेन्ट जोडाई प्रति वर्ग फिट | १.५१- | |
| | ग) २५०० वर्ग फिट सम्म रड सिमेन्ट जोडाई प्रति वर्ग फिट | २१- | |
| | घ) २५०१ भन्दा माथि रड सिमेन्ट जोडाई प्रति वर्ग फिट | २.५१- | |
| | ङ) सिमेन्ट जोडाई कम्पाउड प्रति रनिंग फिट | ०.५१- | |
| | च) गिलेवा जोडाई प्रति वर्ग फिट | ०.५१- | |
| | छ) काठै काठको घर प्रति वर्ग फिट | ०.५१- | |
| | ज) टिनको छानो सिमेन्ट ईटा जोडाई प्रति वर्ग फिट | ०.५१- | |
| | झ) फलामको खम्बाभई टिनको छानो (ट्रस्ट) बाट बनेको प्रति वर्ग फिट | ११- | |
| | ञ) घर अभिलेखिकरण प्रति वर्ग फिट | ११- | |
| ७५ | घर नक्सा म्याद थप दस्तुर | | |
| | पास भएका घरहरुको म्याद भित्र काम सम्पन्न नभएमा म्याद थप गर्न ५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्नेछ । | | |
| ७६ | भवन निर्माण स्वीकृती व्यवसायीक प्रयोजनको लागि प्रति वर्ग फुट | २१- | |
| ७७ | भवन निर्माण स्वीकृती आवाशीय प्रयोजनको लागि प्रति वर्ग फुट | ०.५१- | |
| ७८ | भवनको निर्माण स्वीकृती मापदण्ड भित्र रहेता पनि नक्सा स्वीकृति नलिई निर्माण भै सकेको भवनको र जरिवाना गरी नक्सा स्वीकृत गर्नु परेमा प्रति वर्ग फुट | १.५१- | |
| ७९ | भवन नक्सा नामसारी दस्तुर | ५००१- | |
| ८० | भवन निर्माण अनुमति दस्तुर | ५००१- | |
| ८१ | भवन निर्माण नक्सा पास | १०००१- | |
| ८२ | नक्सा पास निवेदन फारम दस्तुर | १००१- | |
| ८३ | नक्सा पास नक्कल दस्तुर | १००१- | |
| ८४ | निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र (व्यवसायीक) | ५००१- | |
| ८५ | निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र (आवासीय) | २००१- | |
| ८६ | घरको स्थलगत सर्जमिन र अमिन रेखाडकन | ५००१- | |
| ८७ | घरको स्थलगत दस्तुर (प्राविधिक लेआउट) कच्ची | १००१- | |
| ८८ | घरको स्थलगत दस्तुर (प्राविधिक लेआउट) पक्की | ५००१- | |
| ८९ | घर नामसारी (प्रतिघर) | ५००१- | |

| | | | |
|----|---|---------|--|
| ९० | घरबाटो सिफारिस प्रतिलिपि | ५०१- | |
| ९१ | घरको अवस्था प्रमाणित प्रति वर्ग फिट | २१- | |
| ९२ | आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सिफारिस (बलियो) | १५००१- | |
| ९३ | आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सिफारिस (कमजोर) | निशुल्क | |
| ९४ | वार्षिक चल आय प्रमाणित सिफारिस (थप एकाईमा थप नहुने) | | |
| | १ देखी ५ लाख रुपैयाँ सम्म | २००१- | |
| | ५लाख देखी १० लाख रुपैयाँ सम्म | ५००१- | |
| | १० देखी २० लाख रुपैयाँ सम्म | १५००१- | |
| | २० देखी ५० लाख रुपैयाँ सम्म | २०००१- | |
| | ५० लाख देखी १ करोड रुपैयाँ सम्म | ३०००१- | |
| | १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथी | ५०००१- | |

वार्षिक अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन सिफारिसगर्दा घर जग्गा कर देहाय बमोजिम तोकिएको छः-
क) जग्गा कर (रुपैयाँमा)

| क्र.स | विवरण(प्रत्येक एकाईको एकामुष्ठ, थप नलाग्ने) | आ.व. २०७९/०८० को |
|-------|---|------------------|
| क) | रु.५ लाख रुपैयाँ सम्मको | ५०० |
| ख) | (५-१०) लाख रुपैयाँ सम्मको | १००० |
| ग) | (१०-२०) लाख रुपैयाँ सम्मको | १५०० |
| घ) | (२०-३०) लाख रुपैयाँ सम्मको | २००० |
| ङ) | (३०-५०) लाख रुपैयाँ सम्मको | २५०० |
| च) | (५०-१००) लाख रुपैयाँ सम्मको | ३००० |
| छ) | १ करोड भन्दा माथि जतिसुकै रुपैयाँ | ३५०० |

| | | | |
|-----|---|--------|--|
| ९५ | बहाल कर लेखाजोखा सिफारिस | १००१- | |
| ९६ | नागरिकता सिफारिस (वंशज) | २००१- | |
| ९७ | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस | ३००१- | |
| ९८ | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस दुई पटकभन्दा बढी प्रतिलिपि | ३००१- | |
| ९९ | वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सिफारिस | १०००१- | |
| १०१ | नागरिकतामा विवरण संसोधन सिफारिस | ३००१- | |
| १०२ | नागरिकतामा विवरण संसोधन सिफारिस (वैदेशिक) | १०००१- | |
| १०३ | नयाँ नागरिकता सर्जमिन/मुचुल्का | ३००१- | |
| १०४ | विद्युत जडान सिफारिस (नक्सा पास भएको) | १००१- | |
| १०५ | विद्युत जडान सिफारिस (नक्सा पास नभएको) | २००१- | |
| १०६ | धारा जडान सिफारिस (नक्सा पास भएको) | १००१- | |
| १०७ | धारा जडान सिफारिस (नक्सा पास नभएको) | २००१- | |

सरकारी कार्यालय तथा सामुदायिक विद्यालयहरुको सिफारिस दस्तुर लिन पाईनेछैन ।

| | | | |
|------|--|---|----------------------------------|
| १०८ | टेलिफोन जडान सिफारिस(नक्सापास भएको) | १००१- | |
| १०९ | टेलिफोन जडान सिफारिस (नक्सा पास नभएको) | २००१- | |
| | टेलिफोन नामसारी ठाउँसारी | १००१- | |
| ११० | चौपाया सम्बन्धी सिफारिस | १००१- | |
| १११ | व्यवसाय दर्ता सर्जमिन सिफारिस | ३००१- | |
| ११२ | उद्योग ठाउँसारी सिफारिस | ५००१- | |
| ११३ | उद्योग स्थापना सिफारिस दस्तुर | | |
| | ठूला उद्योग | १०००१- | |
| | मझौला उद्योग | ५००१- | |
| | साना उद्योग | ३००१- | |
| ११४ | व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारिस | १००१- | |
| ११५ | व्यवसाय बन्द सिफारिस | १००१- | |
| ११६ | व्यवसाय संचालन नभएको सिफारिस | १००१- | |
| ११७ | ठेला रिक्सा दर्ता नामसारी ठाउँसारी | ५०१- | |
| ११८ | प्यान तथा भ्याट दर्ता सिफारिस | २००१- | |
| ११९ | प्यान तथा भ्याट बन्द सिफारिस | २००१- | |
| १२० | कर चुक्ता प्रमाणित सिफारिस (कुल कारोवार रकमको) | ०.०५% | |
| १२१ | संस्था दर्ता सिफारिस (नाफामूखी) र नविकरण | १५००१- | |
| ६१२२ | संस्थाको अनुभवपत्र | ५०० | |
| | संस्था दर्ता सिफारिस (गैहनाफामूखी) | १०००१- | |
| | उपभोक्ता समिति दर्ता/नवीकरण | ५००। | |
| | टोल बिकास संस्था दर्ता | ८००। | |
| | टोल बिकास संस्था नविकरण | ५००। | |
| | संस्था नविकरण सिफारिस (गैहनाफामूखी) | ५००१- | |
| | INGO को हकमा | ५०००१- | |
| | स्थानीय स्तरका संघ संस्था दर्ता/नविकरण | १०००१- | |
| | स्थानीय स्तरका संघ संस्था नविकरण | ५००१- | |
| १२३ | उजुरी तथा मुद्दा दस्तुर | ५००१- | |
| १२४ | उजुरी तथा मुद्दा दस्तुर (जेष्ठ नागरिक, नाबालक, एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख जाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न नागरिक वडाबाट सिफारिस भई आएका) | निशुल्क | |
| १२५ | मिलापत्र कागज गराउने | १००१-देखी १०००१-सम्म प्रकृति हेरी | पटकै पिच्छे थप १००१-हुने। |
| १२६ | कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा दर्ता गर्नु परेमा दर्ता शुल्क | ५०१- | उजुरी तथा मुद्दा गरी रु ५५०१- |
| १२७ | न्यायीक समितिबाट आदेश/फैसला भएको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि | २००१- | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| १२८ | गाउँपालिकाको ऐन, नियमावली, कार्यविधि संग्रह | ५००१- | |
| १२९ | गाउँपालिका पार्श्वचित्र (profile) | ५००१- | |
| १३० | कार्यालयको कागजात उतार प्रतिलिपि (प्रतिपाना) | ३१- | |
| १३१ | अदालत शुल्क मिनाहा सिफारिस | निशुल्क देखी ५०० सम्म | अख्तियारवालाले तोक्ने |
| १३२ | रुख कटान सिफारिस (प्रति रुख) खयर, चाँप, ओखर, साल | २५०१- | फुकुवाको निर्णय भएमा |
| १३३ | खोटे सल्ला रुख कटान सिफारिस प्रति रुख | १००१- | |
| १३४ | उत्तिस तथा अन्य जुनसुकै रुख कटान सिफारिस प्रति रुख | २००१- | |
| १३५ | मोवाइल टावर ठुलो | ५०००१- | |
| १३६ | मोवाइल टावर सानो | ३०००१- | |
| १३७ | पारिवारिक लगत कार्ड (सरसफाई कार्डको दस्तुर नयाँ) | ५०१- | |
| | पारिवारिक लगत कार्ड (सरसफाई कार्डको दस्तुर प्रतिलिपि) | ५०१- | |
| | पारिवारिक लगत कार्ड(सरसफाई कार्डको दस्तुर नविकरण) | ५०१- | |
| १३८ | हातहतियार नविकरण/ सिफारिस (परम्परागत) | ५००१- | |
| १३९ | हातहतियार नविकरण/सिफारिस (आधुनिक) | १०००१- | |
| १४० | अन्य प्रमाणित/सिफारिस (अंग्रेजी) माथी उल्लेख नभएको | ५००१- | |
| १४१ | अन्य प्रमाणित/सिफारिस नेपाली र अन्य माथी उल्लेख नभएको | २००१- | |
| १४२ | पशु फर्म दर्ता नविकरण | २५०१- | |
| १४३ | IEE/EIA परिक्षण सिफारिस (कुल लागतको अंकको भोल्युम हेरी) | | |
| | क) लागत रु १ लाख देखि २० लाख सम्मको | ५००१- | |
| | ख) लागत रु २० लाख देखि ३० लाख सम्मको | १०००१- | |
| | ग) लागत रु ३० लाख देखि ५० लाख सम्मको | ३०००१- | |
| | घ) लागत रु ५० लाख देखि ७० लाख सम्मको | ५०००१- | |
| | ङ) लागत रु ७० लाख देखि १ करोड सम्मको | ८०००१- | |
| | च) लागत रु १ करोड देखि २ करोड सम्मको | १००००१- | |
| छ) लागत रु २ करोड देखि माथि | १५०००१- | | |
| १४४ | गाउँपालिकाको हल भाडा प्रतिदिन | १,०००१- | |
| १४५ | वडा कार्यालयको हल भाडा प्रतिदिन | १०००१- | |
| १४६ | प्रोजेक्टर भाडा प्रतिदिन | १०००१- | |
| | साउण्ड सिस्टम (राजनिती दल रु.१०००, संघ संस्था रु.५००) | प्रतिदिन | |
| १४७ | सडक बत्ति वार्षिक | १००१- | |
| १४८ | फोहर मैला व्यवस्थापन प्रतिघर/प्रतिपरिवारवार्षिक | २००१- | साधन प्राप्त भएपछि |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| १४९ | सार्वजनिक शौचालय दोभान बजार र अन्य क्षेत्र प्रयोग शुल्क प्रति व्यक्ति/प्रति पटक | निशुल्क | |
| १५० | पौडी पोखरी डुङ्गा समेत प्रति व्यक्ति | २०१- | |
| १५१ | हाटबजार, मेला, खेलकुद सञ्चालन अनुमति | ५०० | |
| १५२ | खानेपानी मुहान दर्ता, नवीकरण अनुमति | ५०० | |
| १५२ | झोले/पोके व्यवसायी पटके कर (दर्ता नभएका व्यवसायी) प्रति पोका (गाउँपालिका भित्रका व्यवसायी) प्रति पोका (गाउँपालिका बाहिरका व्यवसायी) प्रति टिप्पर/पिकअप/ट्रयाक्टर (गाउँपालिका भित्रका व्यवसायी) प्रति टिप्पर/पिकअप/ट्रयाक्टर (गाउँपालिका बाहिरका व्यवसायी) प्रति ट्रक (गाउँपालिका भित्रका व्यवसायी) प्रति ट्रक (गाउँपालिका बाहिरका व्यवसायी) | १०० २०० ३०० ५०० १००० २००० | |

अनुसूची- ६
(दफा ८ सँग सम्बन्धित)
पर्यटन शुल्क

उद्यम, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, संग्राहलय जस्ता सम्पदाको उपयोग वापत् प्रतिव्यक्ति रु. ५ र १ नं. प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०७९ मा व्यवस्था भएअनुसार शुल्क लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।

अनुसूची – ७
(दफा ९ सँग सम्बन्धित)

मेरिङदेन गाउँपालिका कार्यालय क्षेत्र र दोभान बजार क्षेत्रभित्र रहेका जग्गाहरूको भूमिकर (मालपोत)

| क्र.सं. | क्षेत्र | (प्रति आना रु.) |
|---------|--|-----------------|
| १. | दोभान बजारको बाटो क्षेत्र | २० |
| २. | दोभान बजारको बगर, भीर र पाखो बारी | १ |
| ३. | मेरिङदेन गाउँपालिका कार्यालयको बाटोले छोएको क्षेत्र १५ मि. दायाँ बाँया का लागि | १० |

मेरिङदेन गाउँपालिका निम्न उल्लेखित क्षेत्रभित्र रहेका जग्गाहरूको भूमिकर (मालपोत)

| क्र.सं. | क्षेत्र | (प्रति आना रु.) |
|---------|---|-----------------|
| १. | मेरिङदेन गाउँपालिका कार्यालयको १५ मि. दाया बाँया देखि भित्र पट्टिको क्षेत्रको लागि, खाम्लुङ वडा कार्यालय क्षेत्र, थिङलाबु वडा कार्यालय क्षेत्र, ओखाबु स्वास्थ्य चौकी क्षेत्र, कनका मा.वि. क्षेत्र, चारआली चौक क्षेत्र, कान्छी चौक क्षेत्र, लक्ष्मी मा.वि. क्षेत्र, थुकिमाको त्रिभुवन मा.वि. क्षेत्र, माश्रेङ माडगोन्नायक क्षेत्र, वरक खेल मैदान क्षेत्र, सक्राते बजार क्षेत्र, पान्दोलुङ मा.वि. क्षेत्र | १ |

मेरिङदेन गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका जग्गाहरूको भूमिकर (मालपोत)

| क्र.सं. | प्रकार | खेत (प्रति रोपनि रु.) | बारी/पाखो (प्रति रोपनी रु.) | कैफियत |
|---------|--------|-----------------------|-----------------------------|--------|
|---------|--------|-----------------------|-----------------------------|--------|

| | | | | |
|----|-------------------|----|---|--|
| १. | अब्बल | १० | ४ | |
| २. | दोयम | ८ | ३ | |
| ३. | सिम | ६ | २ | |
| ४. | चाहार | ४ | १ | |
| ५. | अलैंची योग्य जमिन | १२ | - | |

अनुसुची - ८

(दफा ११ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र भएका झै-झगडा, सामाजिक विवाद, द्वन्द्व बापत लगाउने जरिवाना, शुल्क

| क्र.सं. | प्रकार | दर रेट रु. | कैफियत |
|---------|---|---|--------|
| १. | जानाजान सार्वजनिक सडकलाई असर पुग्ने गरी सडकमा पानी/कुलो लगाएमा | पहिलो पटक – ३००० दोस्रो पटक - ५००० तेस्रो पटक – १०००० | |
| २. | नोट : यस खण्डसँग सम्बन्धित अन्य जरिवाना गाउँपालिकाको न्यायिक कानून बमोजिम हुनेछ । | | |

- लिनुपर्ने कर शुल्क दस्तुर आदि नलिएमा:
आर्थिक ऐन र अन्य प्रचलित ऐन कानून अनुसार लिनु पर्ने रकम नलिएमा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट तोकिएको रकमको थप १०% हुने रकम बराबर असुल उपर गरि विभागीय कारबाही समेत गरिनेछ ।
- व्यवसाय नवीकरण २०७८ साल प्रत्येक असोज मसान्त भित्र गरिसक्नुपर्नेछ । पौष मसान्त सम्म नवीकरण नगर्नेलाई नवीकरण रकमको ५% जरिवाना गरिनेछ । चैत्र मसान्त सम्म नवीकरण नगर्नेलाई नवीकरण रकमको १०% जरिवान गरिनेछ । असार मसान्त सम्म नवीकरण नगर्नेलाई नवीकरण रकमको १५% जरिवाना गरिनेछ । उक्त अवधिमा पनि नवीकरण नगर्नेलाई असार मसान्त सम्मको नवीकरण रकम र जरिवाना दुवै गरि कुल हुन आउने रकमको माथि उल्लेख भए बमोजिम जरिवाना गरिनेछ ।

प्रशुतकर्ता

दुर्गा प्रसाद श्रेड चडवाड

उपाध्यक्ष

मिति २०७९।०३।१०

